अपील सूचना अधिकार संख्या 72/2018 (RCMS 2018/00187) श्री कृष्णलाल पुत्र रतीराम निवासी 1 पीपी डाकखाना घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कृष्णलाल स्वयं उपस्थित नही। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी ने** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2018 को प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं रजिस्टर्ड डाक द्वारा सत्यापित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्णलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से निम्न सूचना चाही थी:

> आपका मूल पत्र 21.02.2018(नकल नथ्थी है) उपतहसीलदार, बींझबायला को आप द्वारा प्रेषित होते हुए बी.डी.ओ., पदमपुर को पहुंचा, पर की गई उक्त बी.डी.ओ. की कार्यवाही की सूचना आर.टी.आई. एक्ट 2005 अनुसार रजिस्डर्ट डाक द्वारा भेजने की कृपा करें।

अपीलार्थी/प्रार्थी का अपील पत्र के साथ दिनांक 21.02.2018 का मूल पत्र संलग्न नहीं है। जिससे अपीलार्थी मूल रूप से क्या सूचना चाहता है, का स्पष्ट रूप पता नहीं चलता है जबकि चाही गई सूचना बिल्कुल स्पष्ट रूप से होनी चाहिए ताकि सूचना का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया जा सके।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्रांक सू.अ./अपील/2018/7750 दिनांक 13.11.2018 से निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी कृष्णलाल पुत्र रतीराम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र 02.04.2018 के संदर्भ में चाही गई सूचना पत्रावली के उपलब्ध रिकॉर्ड इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. /2018/1972 दिनांक 20.04.2018 द्वारा भिजवा दिये गये। इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ./2018/4007 दिनांक 17.07.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज कर सूचना श्री कृष्णलाल पुत्र रतीराम, चक 1 पीपी घमूड़वाली को भिजवाई जा चुकी है। पत्र की प्रति संलग्न है। आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में प्रति इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ./2018/4008 दिनांक 17.07.2018 के द्वारा आपके पत्रांक 695 दिनांक 22.05.2018 के सूचनार्थ प्रेषित की जा चुकी है। श्रीमान्जी के पत्रांक सीजी/वाचक/18/728 दिनांक 02.07.2018 अपील लोक सूचना अधिकार अधिनियम सं. 44/2018 (RCMS 2018/00114) कृष्णलाल पुत्र श्री रतिराम निवासी 1 पीपी पो.ऑ. घमूड़वाली तहसील पदमपुर बनाम उपखण्ड अधिकारी पदमपुर श्रीमान्जी के द्वारा अपील दिनांक 18.07.2018 को खारिज किया जा चुका है जिसकी प्रति संलग्न है। श्रीमान्जी रिपोर्ट मय रिकॉर्ड प्रस्तुत है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि दिनांक 21.02.2018 के प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय् द्वारा पूर्व में अपील संख्या 44/2018 कृष्णलाल बनाम उपखण्ड

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी, पदमपुर में दिनांक 18.07.2018 को निर्णय पारित कर अपील खारिज की जा चुकी है। निर्णय दिनांक 18.07.2018 की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने जवाब के साथ शामिल की है जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया है :

चूंकि अपीलार्थी द्वारा किसी निश्चित अभिलेख की प्रतिलिपि चाहीं चाही गई है बल्कि उसके द्वारा अपने मूल प्रार्थना पत्र दिनांक **20.02.2018 में टावर स्थापित न करने सम्बन्धी आदेश करने की प्रार्थना की थी जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी किसी परिवेदना का निस्तारण नहीं हो सकता।** फिर भी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा उसकी परिवेदना के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 1359–69 दिनांक 21.03.2018 से जो कार्यवाही शुरू की गई है, उसकी सूचना उसे जरिए पत्र क्रमांक 1972 दनांक 20.04.2018 से दी जा चुकी है।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी परिवेदना का निस्तारण नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलार्थी की अपील इस आधार पर खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार **पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।** आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बात तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। **यह आदेश आज दिनांक 18.07.2018 को मेरे लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

-sd-
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2018 से स्पष्ट है कि इसी प्रार्थना पत्र की पूर्व अपील संख्या 44/2018 में निर्णय दिनांक 18.09.2018 से अपीलार्थी की अपील खारिज की जा चुकी है। इसलिए उसी सूचना के सम्बन्ध पुनः अपील में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए **अपीलार्थी** की अपील उक्त विवेचन के आधार पर पुनः खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर